



कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-01.07.2024

कमिश्नरेट वाराणसी में भारतीय न्याय संहिता 2023 के अन्तर्गत थाना लालपुर पाण्डेयपुर में दर्ज हुआ प्रथम अभियोग।

विषय:- थाना लालपुर पाण्डेयपुर, शिवपुर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त टीम के साथ लालपुर पाण्डेयपुर क्षेत्रान्तर्गत हुई मुठभेड़ में 02 बदमाश मौके से गिरफ्तार व 02 अन्य अभियुक्तगण अपने घर से गिरफ्तार, कब्जे से एक अदद तमंचा, 02 अदद जिन्दा व 02 अदद खोखा कारतूस .315 बोर, 24850/- रू0 नकद, पीली धातु की चेन के 06 टुकड़े, एक अदद मोबाइल फोन व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद।

श्रीमान पुलिस आयुक्त वाराणसी के अपराधों की रोकथाम, चोरी/लूट/हत्या की घटनाओं के सफल अनावरण एवं वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के निर्देशन में, श्रीमान अपर पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के पर्यवेक्षण में एवं श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त कैण्ट के नेतृत्व में थाना लालपुर पाण्डेयपुर, शिवपुर व कमिश्नरेट वाराणसी की क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान मु0अ0सं0 0254/2024 धारा 392/411/414 भा0द0वि0 थाना शिवपुर व मु0अ0सं0 0265/2024 धारा 392/411/414 भा0द0वि0 थाना शिवपुर कमिश्नरेट वाराणसी से संबंधित वांछित अभियुक्तगण 1. किशन सरोज पुत्र अम्बिका सरोज निवासी दबिठुआ थाना फूलपुर जनपद वाराणसी 2. विककी उर्फ चन्दन जैसवार पुत्र प्रेमशंकर जैसवार निवासी करदहां पोस्ट असवरनपुर थाना जलालपुर जनपद जौनपुर को पुलिस मुठभेड़ के दौरान आज दिनांक 01.07.2024 को समय 04.15 बजे कांशीराम आवास ग्राम ऐढे में अर्द्धनिर्मित बाउन्ड्री वाल के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से एक अदद तमंचा, 02 अदद जिन्दा व 02 अदद खोखा कारतूस .315 बोर, 24850/- रू0 नकद, एक अदद मोबाइल फोन व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद हुई। उक्त के सम्बन्ध में थाना लालपुर पाण्डेयपुर में मु0अ0सं0 226/24 धारा 109/317(2) बी0एन0एस0 व 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया जो कमिश्नरेट वाराणसी में भारतीय न्याय संहिता 2023 अन्तर्गत पंजीकृत प्रथम अभियोग है। उक्त गिरफ्तारी/ बरामदगी के सम्बन्ध में थाना लालपुर पाण्डेयपुर व शिवपुर पुलिस द्वारा अग्रेतर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

उक्त सराहनीय कार्य करने वाली पुलिस टीम को श्रीमान पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन महोदय द्वारा 15000/- रू0 नकद पुरस्कार की घोषणा की गयी।

घटनाक्रम का विवरण- आज दिनांक 01.07.2024 को उच्चाधिकारीगण के आदेश-निर्देश के क्रम में प्रभारी निरीक्षक लालपुर पाण्डेयपुर हमराह पुलिस बल के साथ रिंग रोड आजमगढ़ अण्डर पास पर संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग कर रहे थे कि कुछ समय बाद सूचना प्राप्त हुई कि दो बदमाश एक मोटरसाइकिल से चांदमारी शिवपुर की तरफ से रिंग रोड की तरफ जा रहे हैं, इस सूचना पर पुलिस बल रिंग रोड की तरफ चल दिये जिनका पीछा शिवपुर थाने की पुलिस कर रही थी व सूचना पर क्षेत्र में भ्रमणशील कमिश्नेट वाराणसी की एस0ओ0जी0 टीम भी बदमाशों का पीछा कर रही थी। पुलिस टीम को देख कर रिंग रोड से ऐढ़े गाँव की तरफ बदमाशों ने अपनी मोटरसाइकिल को मोड़ लिया। तब पुलिस वालों ने बदमाशों पर टार्च की रोशनी डालते हुये पीछा किया जिनमें से एक बदमाश ने खुद को घिरता हुआ देखकर अर्द्धनिर्मित बाउन्ड्री वाल का आड़ लेकर पुलिस वालों पर जान से मारने की नीयत से तमन्चे से फायर करने लगा जिस पर पुलिस वालों ने पहने हुये बुलट प्रूफ जैकेट से अपने को बचाते हुये घेरा बन्दी कर आत्मरक्षार्थ पुलिस वालों द्वारा क्रॉस फायरिंग की गयी जिसमें एक बदमाश के बायें पैर में गोली लगने से घायल अवस्था में जमीन पर गिर गया तथा दूसरा बदमाश बाउन्ड्री वाल की आड़ से ऐढ़े गाँव की तरफ भागने लगा जिसको दौड़ाकर पुलिस बल द्वारा पकड़ लिया गया। बदमाशों के कब्जे से एक अदद तमंचा, 02 अदद जिन्दा व 02 अदद खोखा कारतूस .315 बोर, 24850/- रू0 नकद व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल यू0पी0 62 सीवी 2861 बरामद हुई। अभियुक्तगण किशन सरोज व विक्की उर्फ चन्दन जैसवार उपरोक्त के तीसरे साथी विकास कुमार पुत्र राजेन्द्र प्रसाद निवासी ग्राम मलहथ थाना फूलपुर जनपद वाराणसी की तलाश में थाना शिवपुर पुलिस ग्राम मलहथ पहुंचकर अभियुक्त को उसके घर के बाहर से पकड़ लिया गया। अभियुक्त विकास कुमार द्वारा बताया गया कि लूट की चेन को हम लोगों ने सनातन नगर कालोनी फुलवरिया में एक सोनार की दुकान पर बेच दिया था और जो पैसा मिला था उसे अभी किशन और विक्की ने मुझे नहीं दिया है। सोनार की दुकान पर अभियुक्त को साथ ले जाकर पूछताछ की गयी तो राजकुमार सेठ ज्वैलर्स के दुकानदार शिवम वर्मा पुत्र स्व0 राजकुमार वर्मा की निशानदेही/ कब्जे से लूट की पीली धातु की चेन के 05 टुकड़ व एक गला हुआ टुकड़ा बरामद किया गया।

विवरण पूछताछ – अभियुक्तगण किशन सरोज व विक्की उर्फ चन्दन जैसवार उपरोक्त ने पूछताछ पर सामूहिक रूप से बताया कि हम लोगों ने दिनांक 25.06.2024 को शिवपुर रेलवे स्टेशन के पास से एक महिला से सोने की चेन लूट किये थे व दिनांक 30.06.2024 को शान्ति कुन्ज अपार्टमेन्ट (शान्ति नगर कालोनी) से एक महिला से सोने की चेन लूट किये थे। इन दोनों घटनाओं में हम तीन लोग थे इस घटना मेरा तीसरा साथी विकास कुमार पुत्र राजेन्द्र प्रसाद निवासी ग्राम मलहथ थाना फूलपुर जनपद वाराणसी भी था। अभियुक्तगण द्वारा गुमराह करने के उद्देश्य से बताया गया कि दोनो महिलाओं से लूटी गयी चेन को हम तीनों लोग हाईवे पर एक अन्जान व्यक्ति को बेच दिये थे जिसका नाम पता हमलोगों नहीं मालूम है जो पैसा मिला था उसे हम तीनों ने आपस में बांट लिया था तथा शान शौकत में खर्च कर दिया है और जो पैसा मेरे पास मिला है यह उन्हीं दोनों लूट की चेनों को बेच से प्राप्त हुए रूपयों में से शेष बचे हैं। अभियुक्त विक्की उर्फ चन्दन जैसवार उपरोक्त ने बताया कि यह मेरी मोटरसाइकिल है जिसका नं0 UP 62 CV 2861 है और इसी मोटरसाइकिल से हम लोगों ने लूट की घटना किया है। अभियुक्तगण द्वारा बताये गये सह-अभियुक्त विकास कुमार उपरोक्त को उसके घर पर दबिश देकर गिरफ्तार किया गया जिसने बताया कि लूट की चेन को हम लोगों ने सनातन नगर कालोनी फुलवरिया में एक सोनार की दुकान पर बेच दिया था और जो पैसा मिला था उसे अभी किशन और विक्की ने मुझे नहीं दिया है। सोनार की दुकान पर अभियुक्त को साथ ले जाकर पूछताछ की गयी तो राजकुमार सेठ ज्वैलर्स के दुकानदार शिवम वर्मा पुत्र स्व0 राजकुमार वर्मा ने बताया कि ये

लड़का मेरे पास आया था इसके साथ 02 लड़के और थे जिन्होंने मुझे चेन बेचा था, पैसे की लालच में आकर मैंने चेन खरीद लिया था। पहले वाली चेन मैंने गला दिया है जिसके एवज में मैंने इन लोगों को 46000/- ₹0 दिया था। दूसरी चेन का 27000/- रुपये दिया था जिसको कुछ गला दिया हूं और कुछ टुकड़े शेष हैं। अभियुक्त शिवम वर्मा उपरोक्त की निशानदेही/कब्जे से पीली धातु की चेन के 05 टुकड़े व एक गला हुआ कुल 06 टुकड़े बरामद किये गये।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. किशन सरोज पुत्र अम्बिका सरोज निवासी दबिठुआ थाना फूलपुर जनपद वाराणसी उम्र करीब 23 वर्ष।
2. विककी उर्फ चन्दन जैसवार पुत्र प्रेमशंकर जैसवार निवासी करदहां थाना जलालपुर जनपद जौनपुर उम्र करीब 25 वर्ष।
3. विकास कुमार पुत्र राजेन्द्र प्रसाद निवासी ग्राम मलहथ थाना फूलपुर जनपद वाराणसी उम्र करीब 19 वर्ष।
4. शिवम वर्मा पुत्र स्व0 राजकुमार वर्मा निवासी सनातन नगर कालोनी फुलवरिया थाना कैण्ट जनपद वाराणसी उम्र करीब 27 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

1. एक अदद तमंचा, 02 अदद जिन्दा व 02 अदद खोखा कारतूस .315 बोर
2. चेन को बेचकर प्राप्त रूपयों में शेष 24850/- ₹0 नकद
3. पीली धातु की चेन के 06 अदद टुकड़े
4. घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल UP 62 CV 2861
5. एक अदद मोबाईल फोन रियल मी नारजो रंग डार्क ब्लू

गिरफ्तार का दिनांक, समय व स्थान - दिनांक 01.07.2024 समय 04.15 बजे कांशीराम आवास ग्राम ऐंढे में अर्द्धनिर्मित बाउन्ड्री वाल के पास थाना लालपुर पाण्डेयपुर वाराणसी।

आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 0254/2024 धारा 392/411/414 भा0द0वि0 थाना शिवपुर कमिश्नरेट वाराणसी।
2. मु0अ0सं0 0265/2024 धारा 392/411/414 भा0द0वि0 थाना शिवपुर कमिश्नरेट वाराणसी।
3. मु0अ0सं0 226/24 धारा 109/317(2) बी0एन0एस0 व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना लालपुर पाण्डेयपुर कमिश्नरेट वाराणसी।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

| थाना लालपुर पाण्डेयपुर पुलिस टीम | थाना शिवपुर पुलिस टीम | क्राइम ब्रान्च पुलिस टीम (SOG) |
|--|---|--|
| 1. प्र0नि0 राजकुमार 2. उ0नि0 रामकेवल यादव | 1. व0उ0नि0 शेषनाथ गौड़ 2. उ0नि0 अनन्त कुमार मिश्रा | 1. उ0नि0 मनीष मिश्र प्रभारी SOG 2. का0 रमाशंकर यादव |

3. हे0का0 सुरेन्द्र कुमार मौर्या
4. हे0का0 सिद्धार्थ राय
5. का0 मनीष कुमार तिवारी
6. का0चा0 रविन्द्र कुमार

3. उ0नि0 भरत चौधरी
4. उ0नि0 चन्द्रभूषण
5. प्र0उ0नि0 अमित मिश्रा
6. हे0का0 रामबाबू
7. का0 ज्ञानेन्द्र कुमार यादव
8. का0 मुकुन्द मौर्य
9. का0 राकेश कुमार
10. का0 अविलाश तिवारी
11. का0 बलराम वर्मा
12. का0चा0 दीपक चौहान

3. का0 पवन कुमार तिवारी
4. का0 अंकित मिश्रा



सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी।